Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

कोरवा जनजाति की महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन : छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में

[1]शशिकान्त सोनकर, [2]डॉ. अजीम खान
[1]शोध छात्र, [2]संकाय अध्यक्ष
[1,2]विधि संकाय कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

सारांश

भारतीय संविधान ने महिलाओं तथा अनुसूचित जनजातियों को समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, गरिमा एवं राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। कोरवा जनजाति की महिलाएँ इस संवैधानिक संरक्षण की विशेष आवश्यकता रखने वाला सामाजिक समूह हैं। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में अध्ययन किया गया है और उपलब्ध आधिकारिक जनजातीय अध्ययनों में उनके सामाजिक जीवन पर परंपरा एवं प्रथागत व्यवस्था के प्रभाव को रेखांकित किया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य कोरवा महिलाओं के समानता, भेदभाव-निषेध, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक न्याय तथा वन एवं सामुदायिक संसाधनों से संबंधित संवैधानिक अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना है। शोध में द्वितीयक स्रोतों के साथ क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त अनुभवजन्य निष्कर्षों को विश्लेषण का आधार बनाया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक संरक्षण व्यापक होने के बावजूद शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक परंपरा और संस्थागत पहुँच जैसी परिस्थितियाँ अधिकारों के प्रभावी उपयोग को प्रभावित करती हैं।

प्रमुख शब्द कोरवा जनजाति, आदिवासी महिलाएँ, संवैधानिक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता, छत्तीसगढ़।

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में समानता और सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करते हुए महिलाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संवैधानिक संरक्षण का

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अनेक जनजातीय समुदाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहे हैं।

कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी का हिस्सा है। भारत की जनगणना के आधिकारिक आँकड़ों में "ज्ञवतूं, ज्ञवकंान" को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्ज किया गया है। पहाड़ी कोरवा के संबंध में छत्तीसगढ़ के जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययनों में सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर क्षेत्रों में उनके निवास तथा उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कोरवा महिलाओं की स्थिति का अध्ययन केवल "महिला" के रूप में करना पर्याप्त नहीं है। उनके सामाजिक अनुभव पर लिंग, जनजातीय पहचान, गरीबी, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति और प्रथागत सामाजिक व्यवस्था का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। अतः संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि क्या महिलाएँ इन अधिकारों को जानती हैं, क्या वे उनका प्रयोग कर सकती हैं और क्या राज्य की संस्थाएँ उनके अधिकारों को प्रभावी रूप से उपलब्ध करा रही हैं।

2. संवैधानिक अधिकारों का आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की संवैधानिक गुंजाइश भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है। कोरवा महिलाओं के संदर्भ में समानता का अर्थ केवल पुरुषों के बराबर कानूनी स्थिति होना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करना भी है जिनसे वे वास्तविक रूप से समान अवसरों का उपयोग कर सकें। यदि किसी महिला को अधिकार प्राप्त है लेकिन वह अशिक्षा, गरीबी या सामाजिक दबाव के कारण उसका प्रयोग नहीं कर पाती, तो संवैधानिक समानता का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का व्यापक आधार है। महिलाओं के संदर्भ में गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय की अवधारणाएँ इसी व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण से जुड़ी हैं।

3. महिलाओं के लिए राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

संविधान के नीति-निर्देशक तत्व महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 समान आजीविका तथा समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे उद्देश्यों को सामने रखता है। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व राहत से संबंधित है। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

से बढ़ावा देने की दिशा निर्धारित करता है। कोरवा महिलाओं के लिए इन प्रावधानों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा उनकी वास्तविक स्वतंत्रता के प्रमुख आधार हैं।

4. राजनीतिक अधिकार एवं स्थानीय शासन

भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत आधार मिला है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कोरवा महिलाओं के लिए ग्राम सभा केवल प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मंच है। वन, भूमि, विकास योजनाओं, सरकारी योजनाओं तथा स्थानीय संसाधनों से जुड़े निर्णयों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उनके संवैधानिक अधिकारों के वास्तविक उपयोग को मजबूत कर सकती है।

अध्ययन के क्षेत्रीय निष्कर्षों में भी ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता दिखाई देती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की क्षमता और निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण एक समान नहीं हैं।

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण

अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में विशेष संरक्षण का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना है। शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा विकास कार्यक्रमों में विशेष अवसर प्रदान करने की व्यवस्था इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है।

कोरवा महिलाओं के संदर्भ में इन प्रावधानों का प्रभाव तभी प्रभावी होगा जब उन्हें सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन तक वास्तविक पहुँच प्राप्त हो। इस संदर्भ में आधिकारिक जनगणना सामग्री भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति पर पृथक सांख्यिकीय तालिकाएँ उपलब्ध हैं।

6. वन एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अधिकार

कोरवा समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना का प्राकृतिक संसाधनों से गहरा संबंध है। इसलिए वन अधिकार का प्रश्न महिलाओं के संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों से भी जुड़ता है। यद्यपि वन अधिकारों का प्रत्यक्ष कानूनी आधार वन अधिकार अधिनियम, 2006 है, इसका सामाजिक महत्व संविधान के सामाजिक न्याय एवं जनजातीय संरक्षण के व्यापक उद्देश्य से जुड़ता है। अधिनियम वन-आश्रित अनुसूचित जनजातियों

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

के परंपरागत वन अधिकारों की मान्यता एवं अभिलेखीकरण की व्यवस्था करता है। महिलाओं को वन एवं भूमि संबंधी निर्णयों में शामिल करना केवल आर्थिक अधिकार का प्रश्न नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय में उनकी निर्णय क्षमता को मजबूत करने का माध्यम भी है।

7. प्रथागत सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकार

कोरवा समाज की सामाजिक व्यवस्था में परंपराओं एवं प्रथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय अनुसंधान संस्थान के अध्ययन में पहाड़ी कोरवा समुदाय की प्रथागत व्यवस्था, विवाह, जन्म एवं मृत्यु संस्कार तथा सामुदायिक नियमों का विश्लेषण किया गया है।

यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि प्रथागत व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जाए। सकारात्मक सामाजिक परंपराएँ समुदाय की एकता को मजबूत कर सकती हैं, किंतु ऐसी प्रथाएँ जो महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता या निर्णय क्षमता को सीमित करती हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पुनर्विचार की आवश्यकता है।

8. क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त प्रमुख संकेत

प्रस्तुत क्षेत्रीय अध्ययन में 500 उत्तरदाताओं के आँकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि शिक्षा एवं विधिक जागरूकता के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। आर्थिक स्थिति एवं अधिकारों के उपयोग में भी महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। इसी प्रकार ग्राम सभा सहभागिता एवं संवैधानिक जागरूकता के बीच महत्वपूर्ण संबंध सामने आया। इससे स्पष्ट होता है कि संवैधानिक अधिकारों की वास्तविक उपलब्धता के लिए केवल कानून का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। शिक्षा, आर्थिक क्षमता, स्थानीय राजनीतिक सहभागिता और संस्थागत पहुँच आवश्यक पूर्वशर्तें हैं।

9. समालोचनात्मक विश्लेषण

संवैधानिक दृष्टि से कोरवा महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिक न्याय का व्यापक संरक्षण प्राप्त है। समस्या मुख्यतः अधिकारों के अभाव की नहीं, बल्कि अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की है।

पहली चुनौती शिक्षा है। कम शैक्षणिक स्तर के कारण संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी सीमित हो सकती है। दूसरी चुनौती आर्थिक निर्भरता है। आर्थिक रूप से निर्भर महिला अक्सर प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया तक स्वतंत्र पहुँच नहीं बना पाती। तीसरी चुनौती भौगोलिक दूरी है। वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों के लिए सरकारी कार्यालय, पुलिस एवं न्यायिक संस्थाओं तक पहुँचना कठिन हो सकता है।

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

चौथी चुनौती प्रथागत सामाजिक व्यवस्था है। समुदाय की परंपराओं का सम्मान आवश्यक है, लेकिन महिला की स्वतंत्रता और समानता को बाधित करने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी आवश्यक है।

10. निष्कर्ष

कोरवा महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान ने उनके लिए मजबूत अधिकारात्मक ढाँचा प्रदान किया है। समानता, भेदभाव-निषेध, गरिमा, राजनीतिक सहभागिता और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण संबंधी प्रावधान उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने की क्षमता रखते हैं। किन्तु संवैधानिक अधिकारों की वास्तविक सफलता जागरूकता → पहुँच → उपयोग → सशक्तिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अतः कोरवा महिलाओं के लिए संवैधानिक साक्षरता, शिक्षा, ग्राम सभा सहभागिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्थानीय संस्थाओं तक पहुँच को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत सरकार. (1989). अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989. भारत कोड.
3. भारत सरकार. (2005). घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005. भारत कोड.
4. भारत सरकार. (2006). अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006. भारत कोड.
5. भारत सरकार. (2006). बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006. भारत कोड.
6. भारत सरकार. (2013). महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013. भारत कोड.
7. National Legal Services Authority. Legal Aid and Legal Services. नई दिल्ली: NALSA.
8. Chhattisgarh State Legal Services Authority. Legal Aid and Awareness. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण.
9. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). Census of India 2011: A-11, State Primary Census Abstract for Individual Scheduled Tribes, Chhattisgarh.

ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-7 | July-2026 | Page 42-47

10. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). ST-08: Educational Level by Age and Sex for Population Age 7 and Above, Scheduled Tribes, Chhattisgarh.
11. Lahre, P. C., & Ram, Balbhadra. (2016). Anthropological Study of Pahari Korwa (PVTG). Tribal Research & Training Institute, Raipur, Chhattisgarh.
12. Ram, Balbhadra, & Lahre, P. C. (2014). Customary Law in Pahadi Korwa Tribe. Tribal Research & Training Institute, Raipur, Chhattisgarh.
13. Balendar, G. L. (2022). Monograph Study of Customary Law in Pahadi Korwa. Tribal Research & Training Institute, Chhattisgarh.
14. Sahu, Ishwar. (2020). Baseline Survey Report: Pahadi Korwa (PVTG). Tribal Research & Training Institute, Raipur, Chhattisgarh.
15. National Legal Services Authority. Promoting Inclusive Legal System: Free Legal Aid and Legal Awareness.